संचिका सं०– 6 एस०एस०(6)15/2024–1972 /

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

स्मिता सिन्हा, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एव हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15. दिनांक– 05/05/2025.

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– *आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– ''मत्स्य प्रजाति का विविधिकरण योजना'' हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 321.28830 लाख (तीन करोड़ इक्कीस लाख अठाईस हजार आठ सौ तीस रुपये) की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–3520, दिनांक–26.07.2024 के क्रम में ''मत्स्य प्रजाति का विविधिकरण योजना'' हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 321.28830 लाख (तीन करोड़ इक्कीस लाख अठाईस हजार आठ सौ तीस रुपये) की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना की विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII एवं IX संलग्न।

2. राज्य की बढ़ती जनसंख्या के साथ पोषणयुक्त प्रोटीन खाद्य–पदार्थ की माँग भी बढ़ी है। पोषण एवं प्रोटीन सुरक्षा में मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद की अहम भूमिका है। बिहार राज्य 8.89 लाख टन घरेलू माँग के विरूद्ध 8.73 लाख टन (2023–24) मछली उत्पादन के साथ देश में चौथा स्थान पर है। राज्य के कुल मत्स्य उत्पादन का बड़ा हिस्सा तीन भारतीय मेजर कार्प (IMC) यथा कतला, रोहू एवं मृगल तथा तीन विदेशी कार्प (यथा–कामन कार्प, ग्रास कार्प एवं सिल्वर कार्प) के उत्पादन एवं प्रगहण से आता है। राज्य के मत्स्य उत्पादन में आधी हिस्सेदारी "पालन मात्स्यिकी" (Culture Fisheries) की है तथा भविष्य में और अधिक बढ़ने की संभावना है। "प्रगहण मात्स्यिकी" (Capture Fisheries) से मत्स्य उत्पादन देश एवं राज्य में लगातार कम हो रही है जो पालन एवं पालन आधारित मत्स्य–प्रगहण मात्स्यिकी की संभावना की ओर संकेत करता है। अभी तक देश एवं प्रदेश की "पालन मात्स्यिकी" वर्णित छः कार्प मछलियों तक ही मुख्यतः सीमित रहा है जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

3. राज्य की समृद्ध जल–सम्पदा एवं मात्स्यिकी जैव–विविधता के कारण "पालन मात्स्यिकी" से मत्स्य उत्पादन की अपार सम्भावनाएँ हैं, परन्तु इन सम्पदाओं का विवेकपूर्ण दोहन मत्स्य उत्पादन में पूर्ण रूप से नहीं हो सका है। मीठे पानी में "जल–कृषि" के तहत "उम्मीदवार प्रजाति" (Candidate Fish Species) का स्पेक्ट्रम

अन्य देशों की तुलना में काफी कम है जबकि मूल प्रजाति के दर्जनों मछलियाँ यहाँ के जल–सम्पदा में मौजूद है। विगत कुछ वर्षों में मत्स्य वैज्ञानिकों के द्वारा पालन मात्स्यिकी में प्रजाति विविधिकरण पर जोर देने के साथ–साथ कई सम्भाव्य मत्स्य प्रजातियों को सफलतापूर्वक प्रजनन कर हैचरी एवं पालन तकनीकी विकसित की गई है। इन मछलियों में माइनर/मिडियम कार्प, कैट फिश, मरैल, झींगा आदि प्रमुख है। इन मछलियों का बेहतरीन स्वाद, औषधिय गुण, उपभोक्ताओं की स्वीकार्यता तथा घरेलू एवं बाहर के बाजारों में माँग के कारण वैज्ञानिकों एवं मत्स्य कृषकों का ध्यान आकृष्ट किया है। वैज्ञानिकों के द्वारा इसे जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति में भी मौसम अनुकूल (climate resilience) मत्स्य प्रजाति के रूप में देखा जा रहा है। इन देशी माइनर/मेडियम कार्प, मछलियों का एकल–पालन, मिक्स पालन अथवा इन्टर–क्रोपिंग प्रजाति के रूप में पालन मात्स्यिकी में शामिल कर मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी कारगर साबित हो सकता है।

4. देश एवं प्रदेश के मीठे जल में मुख्यतः देशी एवं विदेशी मेजर कार्प प्रजाति को शामिल कर तालाब में मिश्रित मछली पालन की तकनीकी एक पुरानी पद्धति है जो अभी तक किसानों के बीच प्रचलित है। इन कार्प मछलियों की बेहतर विकास दर एवं हैचरी तकनीक से मत्स्य बीज की ससमय सहज उपलब्धता के कारण मत्स्य कृषकों के द्वारा इसे प्राथमिकता दी जाती है। विगत चार दशकों में मीठे जल में मिश्रित मत्स्य पालन पर निर्भरता एवं अन्य माइनर, कैट फिश की उपेक्षा के कारण मात्स्यिकी को बड़ा नुकसान हुआ है। बढ़ते शहरीकरण, नदियों पर बाँध का निर्माण एवं अन्य मानवजनित गतिविधियों के कारण मत्स्य जैव–विविधता पर प्रतिकूल असर पड़ा है जिसके कारण कई माइनर एवं कैट फिश संकटाग्रस्त (endangered) एवं विलुप्त प्रायः के कगार पर पहुँच गई है। वर्ष 2007–08 में ICAR-NBFGR (National Bureau of Fish Genetic Resources), लखनऊ के द्वारा मूल प्रजातियों के संरक्षण के तहत राज्यों से एक मछली को राजकीय मछली (State Fish) घोषित करते हुए इसके संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु आग्रह किया गया, जिसके फलस्वरूप कई राज्यों के द्वारा अपने–अपने प्रदेश के मूल मत्स्य प्रजाति को "State Fish" के रूप में घोषित किया गया जिसमें अपना राज्य बिहार भी शामिल है। बिहार में "देशी मांगुर" जो एक कैट फिश है, को वर्ष 2008 में ही राजकीय मछली घोषित किया गया। कुल 28 राज्यों में से 21 राज्यों के द्वारा "State Fish" घोषित किया गया है जिसमें अधिकांश माइनर कार्प एवं कैट फिश संकटाग्रस्त मत्स्य प्रजातियाँ हैं जिसकी संरक्षण एवं संवर्द्धन आवश्यक है।

5. बिहार विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक जल–सम्पदाओं से समृद्ध राज्य है। इन जल–सम्पदाओं में नदियाँ, मन, चौर (आर्द्रभूमि), झील आदि प्रमुख हैं जो करीब 100 से अधिक छोटी–बड़ी मत्स्य प्रजातियों का प्राकृतिक "शरण–स्थली" है। बढ़ते शहरीकरण, जल–प्रदूषण, रासायनिक दवाओं का प्रयोग एवं मानवजनित क्रियाकलाप के कारण इन जल–सम्पदाओं एवं मत्स्य जैव–विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव प्रड़ा है फलतः मूल प्रजाति की कई मछलियाँ संकटाग्रस्त एवं विलुप्त की

स्थिति में आ गई है। माइनर कार्प एवं कैट फिश में मुख्यतः साइप्रीनस, मांगुर/सिंघी, मरैल्स, पर्च आदि सम्भाव्ययुक्त देशी समूह की मछलियाँ है जिसका समावेश "पालन मात्स्यिकी" में करने से राज्य के मत्स्य–उत्पादन में अभिवृद्धि किया जा सकता है। मेजर कार्प के साथ माइनर कार्प एक साथ पालन किया जा सकता है, इनमें आपसी आहार प्रतिस्पर्धा (Food Competition) भी नहीं है। वर्णित स्थिति के मद्येनजर "चतुर्थ कृषि–रोड–मैप" के तहत मत्स्य प्रजाति विविधिकरण को "केन्द्रित क्षेत्र" (Thrust Area) के रूप में चिन्हित किया गया है जिससे इन देशी मछलियों का बीज उत्पादन एवं पालन से इसका संरक्षण एवं संवर्द्धन के साथ–साथ किसानों की अतिरिक्त आय में वृद्धि हो सके। संभाव्य देशी माइनर/मेडियम कार्प, कैट फिश आदि की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–III पर दी गई है।

6. चतुर्थ कृषि–रोड–मैप में स्वीकृत "केन्द्रित क्षेत्र" (Thrust Area) के तहत चिन्हित इस अवयव को "मत्स्य प्रजाति विविधिकरण योजना" के नाम से योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना आगामी वर्षों में भी राज्य में क्रियान्वित की जाएगी, परंतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में पायलट आधार पर मत्स्य संपदा बाहुल्य जिलों/परिक्षेत्रों में माँग के आधार पर इसे लागू किया जाएगा।

7. "मत्स्य प्रजाति विविधिकरण योजना" का मुख्य उद्देश्य :–

   (i). राज्य के जल–सम्पदाओं में मौजूद देशी प्रजाति के संभाव्य (potential) माइनर कार्प एवं कैट फिश की विकसित हैचरी तकनीकी से बीज उत्पादन कर समुचित दर पर मत्स्य कृषकों को उपलब्ध कराना तथा इसके पालन (culture) को बढ़ावा देना (विवरणी अनुलग्नक–IV)।

   (ii). मौजूदा मेजर कार्प आधारित मत्स्य पालन जैसे–मिश्रित मत्स्य पालन (जिसमें मुख्यतः छः मत्स्य प्रजातियों पर निर्भरता होती है) के प्रजाति आधार को बढ़ाना। पालन मात्स्यिकी के प्रजाति आधार को देशी मूल के माइनर कार्प, कैट फिश, वायु श्वासी मछली के साथ समावेशन कर बढ़ाना जिससे इनका संरक्षण एवं संवर्द्धन के साथ–साथ मत्स्य उत्पादकता तथा किसानों के वार्षिक आमदनी में वृद्धि हो सके ताकि सुदूर ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके।

8. योजना के क्रियान्वयन से निम्न लाभ होने का अनुमान है,

   (i). माइनर कार्प, कैट फिश एवं अन्य मछलियों का हैचरी उत्पादित शुद्ध बीज तथा पालन तकनीक किसानों को उपलब्ध हो सकेगा।

   (ii). पालन मात्स्यिकी (culture fisheries) का प्रजाति स्पेक्ट्रम/आधार बढ़ेगा जिससे पालन मात्स्यिकी सतत एवं टिकाऊ हो सकेगा।

   (iii). मौसम अनुकूल (climate resilience) मात्स्यिकी का व्यवसायिक आधार मज़बूत होगा।

   (iv). माइनर कार्प, कैट फिश एवं अन्य छोटी मछलियों के पालन से इसका संरक्षण एवं संवर्द्धन हो सकेगा।

(v). किसानों के आय में वृद्धि तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा पलायन में कमी आ सकेगी।

9. मुख्य आउटपुट (उत्पादन):–

(i). योजना के क्रियान्वयन से वित्तीय वर्ष 2025–26 में 40 लाख माइनर कार्प एवं 10 लाख कैट फिश का बीज राज्य में ही उत्पादन की संभावना है।

(ii). योजना के क्रियान्वयन से वित्तीय वर्ष 2025–26 में 04 माइनर कार्प एवं 02 कैट फिश की हैचरी का अधिष्ठापन तथा 190 एकड़ में इसका "पालन मात्स्यिकी" करने का लक्ष्य है। योजना के सफल क्रियान्वयन होने से राज्य में 50 लाख माइनर कार्प एवं कैट फिश बीज तथा 245 टन से अधिक माइनर कार्प एवं कैट फिश का उत्पादन हो सकेगा।

(iii). योजना के क्रियान्वयन से 386 से अधिक को प्रत्यक्ष रोजगार तथा 3200 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन होने की सम्भावना है। साथ ही हैचरी एवं पालन मात्स्यिकी से क्रमशः 11640 एवं 15200 अर्थात् कुल 26840 मानव दिवस वार्षिक सृजन होने की संभावना है।

10. मुख्य आउटकम (Outcome):–

(i). माइनर एवं कैट फिश की उपलब्धता राज्य में ही सुलभ होगी जिससे दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम होगी।

(ii). राज्य के "पालन मात्स्यिकी" (Culture Fisheries) का प्रजाति आधार/स्पेक्ट्रम बढ़ेगा जिससे "पालन मात्स्यिकी" टिकाऊ एवं सतत हो सकेगा।

(iii). माइनर कार्प एवं कैट फिश का पालन, छोटे–छोटे तालाब (नर्सरी, रियरिंग, बैकयार्ड तालाब) एवं इन्टर क्रोपिंग प्रजाति के रूप में भी सफलतापूर्वक किया जा सकेगा जिससे लघु, सीमांत एवं अन्य मत्स्य किसानों को भी अतिरिक्त आमदनी का कारगर उपाय हो सकेगा।

(iv). राज्य के अधिसंख्य कुपोषित जनसंख्या को पोषण एवं प्रोटीन सुरक्षा का साधन उपलब्ध होगा जिससे इनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा।

(v). इसके साथ ही किसानों के आय में वृद्धि तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

11. अनुश्रवण संकेतक (Monitorable Indicator) :-

हैचरी से माइनर कार्प एवं कैट फिश "बीज का उत्पादन" (लाख में) तथा माइनर कार्प एवं कैट फिश "पालन मात्स्यिकी" से आच्छादित जलक्षेत्र (एकड़ में) को योजनान्तर्गत monitorable सूचकांक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

12. योजना का संक्षिप्त विवरणी :–

"मत्स्य प्रजाति विविधिकरण योजना" के निम्न मुख्य घटक होंगे –

(i). माइनर कार्प हैचरी का अधिष्ठापन।

(ii). कैट फिश हैचरी का अधिष्ठापन।

(iii). माइनर कार्प "पालन मात्स्यिकी" की योजना

(iv). कैट फिश एवं अन्य "पालन मात्स्यिकी" की योजना।

(i). माइनर कार्प हैचरी का अधिष्ठापन :–

राज्य में कई देशी संभाव्य (potential) माइनर कार्प की प्रजाति होने के बावजूद बीज की अनुपलब्धता के कारण इसके पालन में कठिनाई है। इसी को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य के देशी "माइनर कार्प" के शुद्ध मत्स्य बीज हेतु हैचरी अधिष्ठापन की योजना है। माइनर कार्प हैचरी के अधिष्ठापन से कालवासु, बाटा, दरही, कुर्सा आदि मछलियों का स्पॉन/बीज की उत्पादन से इसकी उपलब्धता किसानों को अपने राज्य में ही हो सकेगा। इसके लिए आवेदक के पास 1 एकड़ भूमि (भूमि निजी/लीज पर तथा विवाद रहित) की आवश्यकता होगी। माइनर कार्प हैचरी का इकाई लागत मो0 13.12 लाख (इनपुट सहित) आकलित है (अनुलग्नक–V)। वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 04 माइनर कार्प हैचरी अधिष्ठापन का लक्ष्य है।

(ii). कैट फिश हैचरी का अधिष्ठापन :–

राज्य में कैट फिश समूह की मछलियों का व्यवसायिक हैचरी स्थापित नहीं है फलतः इन मछलियों के बीज हेतु दूसरे राज्यों पर निर्भरता रहती है। योजनान्तर्गत कैट फिश हैचरी अधिष्ठापित करने की योजना है। कैट फिश समूह में मुख्यतः मांगुर, सिंघी, पावदा, बचवा, टेंगरा के अलावे पंगास, कवई, मरैल्स इत्यादि मछली का भी स्पॉन/बीज का उत्पादन किया जा सकेगा। इसके लिए आवेदक के पास 1 एकड़ भूमि (भूमि निजी/लीज पर तथा विवाद रहित) की आवश्यकता होगी। कैट फिश हैचरी अधिष्ठापन का इकाई लागत मो0 15.37 लाख (इनपुट सहित) आकलित है (अनुलग्नक–VI)। वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 02 कैट फिश हैचरी अधिष्ठापन का लक्ष्य है।

(iii). माइनर कार्प "पालन मात्स्यिकी" की योजना :–

राज्य में माइनर कार्प समूह की मछलियों का काफी माँग है परन्तु इसके बीज का उत्पादन अभी तक राज्य में नहीं होने के कारण अन्य राज्यों पर निर्भरता रहती है। वर्तमान योजना के तहत माइनर कार्प समूह के मछलियों के पालन हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना है। माइनर कार्प पालन के तहत Labeo gonius (कुर्सा), कालवासु, वाटा, रेवा, मोला, दरही आदि देशी मछलियों को पालन मात्स्यिकी के अंतर्गत किसानों के द्वारा उत्पादन किया जाएगा। माइनर कार्प मछलियों की बीज पड़ोसी राज्यों से प्राप्त कर इसका पालन किया जा सकेगा। इसके पालन हेतु इनपुट व्यय के रूप में मो0 0.94 लाख/0.5 एकड़ जलक्षेत्र का इकाई लागत आकलित है (अनुलग्नक–VII)। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना के तहत राज्य के 90 एकड़ (180 यूनिट) जलक्षेत्र में पालन करने का लक्ष्य है ।

(iv). कैट फिश एवं अन्य मछलियों की पालन मात्स्यिकी योजना :–

राज्य में कैट फिश एवं अन्य सम्भाव्य मछलियों में मुख्यतः मांगुर, सिंघी, पावदा, मरैल्स, तिलापिया, पंगास आदि प्रमुख है। इन देशी मछलियों के पालन मात्स्यिकी हेतु राज्य के किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्तमान योजना क्रियान्वित की जा रही है। इन मछलियों की बीज की उपलब्धता राज्य में नहीं है परन्तु पड़ोसी राज्यों (बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि) में है, जहाँ से किसान बीज प्राप्त कर पालन कर सकते है। पालन मात्स्यिकी हेतु कैट फिश समूह के मछलियों का इकाई लागत मो0 1.35 लाख/0.5 एकड़ जलक्षेत्र आकलित है (अनुलग्नक–VIII)। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना के तहत कुल 100 एकड़ (200 यूनिट) जलक्षेत्र में पालन करने का लक्ष्य है ।

13. योजना का भौतिक, वित्तीय आकार एवं समय–सीमा :–

चतुर्थ कृषि–रोड–मैप के तहत मत्स्य प्रजाति विविधिकरण को "फोकस्ड एरिया" के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्तमान प्रस्ताव चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत स्वीकृत योजना के अंतर्गत है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 में निजी क्षेत्रों में 04 माइनर कार्प हैचरी एवं 02 कैट फिश हैचरी अधिष्ठापन करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार निजी क्षेत्रों में क्रमशः 90 एकड़ तथा 100 एकड़ जलक्षेत्र में माइनर कार्प एवं कैट फिश पालन करने का लक्ष्य है।

योजनान्तर्गत माइनर एवं कैट फिश के कुल 06 हैचरी के अधिष्ठापन एवं 190 एकड़ में पालन मात्स्यिकी पर कुल ₹ 321.28830 लाख का व्यय (प्रशासनिक व्यय सहित) का अनुमान है।

14. लाभुकों का चयन :–

(i). मत्स्य प्रजाति विविधिकरण योजना हेतु लाभुकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। इस हेतु योजना स्वीकृति के उपरांत मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा राज्य–स्तरीय दैनिक समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।

(ii). आवेदक के द्वारा पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (स्व–अभिप्रमाणित), आधार–कार्ड, इकाई लागत से अधिक व्यय होने पर अंशदान (स्वयं अथवा बैंक ऋण द्वारा) का सहमति–पत्र जमीन संबंधी कागज़ात आदि आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा।

(iii). एक व्यक्ति/परिवार को योजनान्तर्गत हैचरी अथवा "पालन मात्स्यिकी" में से किसी एक अवयव का ही सब्सिडी हेतु अनुमान्यता होगी। साथ ही "पालन मात्स्यिकी" में एक व्यक्ति/परिवार को अधिकतम 01 एकड़ (02 इकाई) तथा न्यूनतम 0.25 एकड़ जलक्षेत्र की अनुमान्यता होगी।

(iv). योजना के तहत हैचरी निर्माण हेतु नीजी/लीज (एकरारनामा न्यूनतम 09 वर्ष का) पर भूमि होना आवश्यक है। "पालन मात्स्यिकी" हेतु नीजी/लीज (एकरारनामा 11 माह)/वैध पट्टा (सरकारी बंदोबस्त तालाब में) पर तालाब/

बायोफ्लॉक टैंक/आर०ए०एस० इकाई का होना आवश्यक है। लीज से संबंधित निबंधित एकरारनामा अथवा 1000 रुपया के नन–जुडीसियल स्टाम्प पर की गई एकरारनामा आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी। नन–जुडीसियल स्टाम्प पर एकरारनामा के मामला में भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र अथवा अद्यतन मालगुजारी रसीद (एक वर्ष पूर्व का) आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

(v). भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/लीज एकरारनामा पर ली गई भूमि से संबंधित दस्तावेज, जमीन का नक्शा, राजस्व रसीद, आवेदक के द्वारा प्रस्तावित भूमि के साथ अपना पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना होगा। फोटोग्राफ में लैण्डमार्क/विभेदक–चिन्ह् स्पष्ट हो ताकि स्थल–निरीक्षण के क्रम में प्रस्तावित भूमि का सुलभता के साथ पहचान हो सके।

(vi). लाभुक का चयन, आवेदन के साथ संलग्न कागज़ातों के आधार पर क्षेत्रीय प्रभारी के स्थल–जाँचोपरांत जिला मत्स्य पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उप मत्स्य निदेशक के अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जाएगा।

15. योजनान्तर्गत माइनर/कैट फिश हैचरी निर्माण अवयव, निजी क्षेत्र में तथा "पालन मात्स्यिकी" अवयव निजी/सरकारी तालाब (पट्टेधारी के द्वारा) में क्रियान्वित किया जाएगा।

16. योजनान्तर्गत सभी वर्गों के लाभुकों एवं सभी अवयवों के लिए निर्धारित इकाई लागत का 60 प्रतिशत सब्सिडी की अनुमान्यता होगी।

(क) हैचरी अवयव :– सब्सिडी का भुगतान तीन किश्तों में की जाएगी। पहला किश्त–हैचरी (माईनर एवं कैटफीश) के पक्का निर्माण कार्य के पश्चात देय कुल सब्सिडी का 50 प्रतिशत, दूसरा किश्त–हैचरी के सम्बद्ध तालाब निर्माण, बोरिंग पम्पसेट पाईप लाईन फिटींग एवं अन्य कार्य के पश्चात् देय कुल सब्सिडी का 40 प्रतिशत तथा तीसरा किश्त–इनपुट के क्रय संबंधी सामग्रियों के भौतिक सत्यापनोपरांत कुल देय सब्सिडी का शेष 10 प्रतिशत भुगतेय होगा।

(ख) "पालन मात्स्यिकी" हेतु :–

प्रथम किश्त – तालाब/टैंक की तैयारी के पश्चात् वांछित मत्स्य बीज (माइनर/कैट फिश) के संचयन के पश्चात् देय सब्सिडी का 60 प्रतिशत भुगतेय होगा।

दूसरा किश्त – इनपुट के क्रय संबंधी भौतिक सत्यापनोपरांत देय सब्सिडी का 40 प्रतिशत भुगतेय होगा।

(i). निर्माण कार्य की प्रवृष्टि "मापी–पुस्तिका" (MB) में संबंधित कनीय अभियंता के द्वारा तथा सत्यापन सहायक अभियंता के द्वारा किया

जाएगा तथा इनपुट संबंधित कार्यों का ब्योरा मत्स्य प्रसार पदाधिकारी अथवा क्षेत्रीय प्रभारी के द्वारा प्रतिवेदित की जाएगी।

(ii). सब्सिडी की प्रथम/द्वितीय किश्त अभियंता (निर्माण कार्य) एवं क्षेत्रीय प्रभारी (इनपुट) के प्रतिवेदन के आलोक में परिक्षेत्र–स्तरीय कमिटी के समक्ष निर्धारित होगा तथा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सब्सिडी का भुगतान जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

(iii). अंतिम किश्त की सब्सिडी हेतु "मापी–पुस्तिका" (MB) की सत्यापित प्रति के साथ क्षेत्रीय प्रभारी का तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में गठित समिति के समक्ष विचारार्थ हेतु उपस्थापित की जाएगी।

(iv). योजनान्तर्गत वर्णित अवयवों में सब्सिडी का भुगतान संबंधित परिक्षेत्र–स्तर पर उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुशंसा के उपरांत संबंधित जिला के जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। सब्सिडी राशि का भुगतान लाभुक के बैंक खाते में RTGS/NEFT/DBT के माध्यम से ही किया जाएगा।

17. अन्य क्रियान्वयन निदेश :–

(i). योजना क्रियान्वयन के उपरांत "हैचरी" एवं "पालन मात्स्यिकी" अवयव के लाभुकों के द्वारा संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत में (मार्च से पहले) योजनान्तर्गत उत्पादित माइनर/कैट फिश की बीजों की सं० का आँकड़ा (लाख में) एवं उत्पादित "पालन मात्स्यिकी" से माइनर एवं कैट फिश उत्पादन का आँकड़ा प्रजातिवार जिला मत्स्य कार्यालय में समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(ii). योजनान्तर्गत निर्मित हैचरी का कम से कम 05 वर्षों तक लाभुकों के द्वारा संचालित करना आवश्यक होगा अन्यथा सब्सिडी की राशि वापसी हेतु विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(iii). इस योजना के कार्यान्वयन एवं राशि निकासी में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो विभागीय अनुमोदन से निदेशक मत्स्य आवश्यकतानुसार दिशा–निर्देश/अनुदेश निर्गत कर सकेंगे, लेकिन व्यय स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रहेगा।

(iv). नर्सरी/रियरिंग तालाब निर्माण की इकाई लागत तकनीकी समिति से अनुमोदित है।

(v). निर्मित माइनर कार्प, कैट फिश हैचरी, इसके पालन मात्स्यिकी इकाई पर पक्का बोर्ड लाभार्थी द्वारा लगाना अनिवार्य होगा। बोर्ड चार फीट खड़े लोहे के एंगल पर 4x3 फीट आकार के लोहे के चादर का होगा जिसपर पेंट से विवरणी अंकित होगा।

(vi). बोर्ड पर अंकित विवरणी का प्रारूप निम्न होगा–

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग

मत्स्य निदेशालय, पटना।

योजना का नाम एवं वर्ष–
अवयव का नाम–
लाभुक का नाम एवं पता– **सब्सिडी की राशि–**
प्राक्कलित/लागत राशि– **आच्छादित जलक्षेत्र–**

(vii). उक्त योजना हेतु उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र की अध्यक्षता में गठित समिति, लाभुक का चयन, सब्सिडी भुगतान हेतु अनुशंसा एवं योजना के कार्यान्वयन में स्थानीय स्तर पर होने वाली कठिनाईयों के निराकरण के लिए सुझाव समय–समय पर विभाग/निदेशालय को देगी जिसमें निम्न सदस्य होगें।

1. उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र –अध्यक्ष
2. जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सदस्य सचिव
3. मत्स्य प्रसार पदाधिकारी –सदस्य
4. कनीय अभियंता –सदस्य
5. मत्स्य विकास पदाधिकारी –सदस्य

18. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (संबंधित) होंगे।

19. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित कर व्यय किया जा सकेगा।

20. योजनान्तर्गत स्वीकृति राशि के अनुरूप निदेशक मत्स्य के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

21. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक 05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

22. बजट शीर्ष एवं बजट की उपलब्धता :– मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0117 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2, विपत्र कोड–02-2405001010117 विषय शीर्ष–0117.13.01 –कार्यालय व्यय मद, विषय शीर्ष–0117.20.03 –प्रशिक्षण व्यय मद एवं विषय शीर्ष–0117.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से व्यय किया जायेगा।

23. यह स्कीम सात निश्चय–2 के तहत एक चालू स्कीम है। इस स्कीम की लागत मूल्य पाँच करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के आलोक में स्कीम की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस० (6)15/2024 के पृष्ठ–27/टि०, दिनांक–29.04.2025.

24. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)15/2024 के पृष्ठ संख्या–27/टि० डायरी क्रमांक–192, दिनांक–28.04.2025.

25. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

2/5/25

(स्मिता सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)15/2024– 1972 /पटना–15, दिनांक–05/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)15/2024– 1972 /पटना–15, दिनांक–05/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

2/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)15/2024– 1972 /पटना–15, दिनांक–05/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक/सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए० पटना/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)15/2024– 1972 /पटना–15, दिनांक–05/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशालय के सभी पदाधिकारियों एवं सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)15/2024– 1972 /पटना–15, दिनांक–05/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)15/2024– 1972/पटना–15, दिनांक–05/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0117 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2405001010117 के तहत अनुदानित दर पर **'मत्स्य प्रजाति का विविधिकरण योजना''** पर होने वाले सम्भावित व्यय की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र०	अवयव का नाम	उप शीर्ष	विषय शीर्ष	लक्ष्य (सं०)	स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नाम	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	माइनर कार्प हैचरी का अधिष्ठापन (सं०) (इकाई लागत 13.12 लाख / यूनिट)	लघुशीर्ष–101 – अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0117 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2, विपत्र कोड–<u>02-2405001010117</u>	0117.13.01 –कार्यालय व्यय	-	2.83630	निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना / जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)	संबंधित कोषागार (सभी) बिहार
			0117.20.03 –प्रशिक्षण व्यय	-	5.00		
			0117.33.01 –सब्सिडी	4	31.48800		
2	कैट फिश हैचरी का अधिष्ठापन (सं०) (इकाई लागत 15.37 लाख / यूनिट)			2	18.44000		
3	माइनर कार्प मात्स्यिकी पालन की योजना (एकड़ में) 01 यूनिट=0.5 एकड़ (इकाई लागत 0.94 लाख / यूनिट)		0117.33.01 –सब्सिडी	180	101.520		
4	कैट फिश मात्स्यिकी पालन की योजना (एकड़ में) 01 यूनिट=0.5 एकड़ (इकाई लागत 1.35 लाख / यूनिट)			200	162.00		
			कुल :–	**386**	**321.28830**		

कुल (तीन करोड़ इक्कीस लाख अठाईस हजार आठ सौ तीस रुपये) मात्र।

1972
05/05/2025

2/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–II

वित्तीय वर्ष 2025–26 में *"**मत्स्य प्रजाति का विविधिकरण योजना**"* का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(राशि लाख में)

क्र०	माइनर कार्प हैचरी का अधिष्ठापन (सं०) (इकाई लागत 13.12)			कैट फिश हैचरी का अधिष्ठापन (सं०) (इकाई लागत 15.37)			माइनर कार्प मात्स्यिकी पालन की योजना (एकड़ में) 01 यूनिट=0.5 एकड़ (इकाई लागत 0.94/यूनिट)			कैट फिश मात्स्यिकी पालन की योजना (एकड़ में) 01 यूनिट=0.5 एकड़ (इकाई लागत 1.35 यूनिट)			कुल सब्सिडी राशि (5+8+11)	प्रशासनिक व्यय (2.5%)	कुल राशि
	लाभुक (सब्सिडी 60 प्रतिशत)														
	संख्या	राशि	सब्सिडी	संख्या	राशि	सब्सिडी	संख्या	राशि	सब्सिडी	संख्या	राशि	सब्सिडी			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	4	52.48000	31.48800	2	30.74000	18.44400	180	169.20000	101.52000	200	270.00000	162.00000	**313.45200**	7.83630	**321.28830**

1972
05/05/2025

24/7/25

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–III

देशी एवं विदेशी मछलियों की सम्भाव्य (Potential) समूहवार विवरणी

A. भारतीय एवं अनुशंसित विदेशी मेजर कार्प एवं अन्य संभाव्य मछलियों की सूची :–

भारतीय मेजर कार्प

Sl.	Species	English Name	Common Name	Remarks
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	*Labeo rohita*	Rohu	Rohu	
2.	*Catla catla*	Catla	Catla/Bhakur	
3.	*Cirrhinus mrigala*	Mrigal	Naini/Mrigal	

विदेशी मेजर कार्प, कैट फिश एवं अन्य :–				
Sl.	Species	English Name	Common Name	Remarks
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	*Ctenopharyngodon idellus*	Grass carp	Grass Carp	
2.	*Hypophthalmichhys molirix*	Silver carp	Silver Carp	
3.	*Cyprinus carpio var. Communis*	Common carp	Common Carp	
4.	*Cyprinus carpio*	Amur Carp	Amur	
5.	*Pangasianodon hypophthalmus*	Pangasius	Pangas	
6.	*Tilapia Nilotica*	Gift Tilapia	Tilapia	

B. देशी संभाव्य (potential) माइनर/मेडियम कार्प की सूची :–

Sl.	Species	English Name	Common Name	Remarks
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	*Labeo fimbriatus*	Fringelipped carp		
2.	*Labeo calbasu*	Calbasu	Calbashu	
3.	*Labeo goninus*	Gonius	Kursa/kurre	
4.	*Labeo bata*	Bata	Bata	
5.	*Cirrhinus reba*	Reba	Reba	
6.	*Puntius sarana*	Barb	Darhi	
7.	*Amblypharangadon mola*	Mola	Mara	

C. देशी कैट फिश एवं अन्य संभाव्य (potential) मछलियों की सूची :–

Sl.	Species	English Name	Common Name	Remarks
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	*Clarias batrachus*	Mangur	Desi Mangur	
2.	*Heteropnoustes fossilis*	Singhi	DesiSinghi	
3.	*Ompok bimaculetus*	Butter cat fish/Pabda	Pabo/Pabda	
4.	*Eutropichthys vacha*	Vacha	Bachwa	
5.	*Ophiocephalus species*	Murrels	Bhaura/Garai/Saura	
6.	*Anabas testudinus*	Climbing perch	Kabai	
7.	*Chitala chitala*	Feather back	Moi	
8.	*Mystus species*	Mystus	Tengra	

<u>नोटः</u>– उक्त वर्णित संभाव्य (Potential) माइनर/मेडियम कार्प एवं कैट फिश की सूची सांकेतिक है, जिसमें बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी हो सकती है।

2/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

1972
05/05/2025

अनुलग्नक–IV

माइनर कार्प की पालन हेतु बीज का सम्भावित दर –

क्र०	प्रजाति	संचयन दर/0.5 एकड़ (फ्राई)	अनुमानित दर/पीस (परिवहन सहित) (रुपये में)	अभ्युक्ति
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	*L.bata*	6000.00	4.00	
2	*L.calbasu*	5000.00	4.00	
3	*L.fimbriatus*	6000.00	5.00	
4	*C.reba*	5000.00	5.00	
5	*L.gonius*	10000.00	3.00	
6	*Puntius species*	10000.00	3.00	

माइनर कार्प के बीज का औसत दर ₹4.00 प्रति पीस (परिवहन/पैकिंग व्यय सहित) अनुमानित है।

कैट फिश एवं अन्य की पालन हेतु बीज का सम्भावित दर –

क्र०	प्रजाति	संचयन दर/0.5 एकड़ (फ्राई)	अनुमानित दर/पीस (परिवहन सहित) (रू० में)	अभ्युक्ति
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	*Mangur*	10000.00	5.00	
2	*Singhi*	10000.00	4.00	
3	*Pabda*	12000.00	5.00	
4	*Murrels*	10000.00	5.00	
5	*Kabai*	10000.00	6.00	
6	*Chital*	5000.00	5.00	
कैट फिश के बीज का औसत दर ₹ 6.00/पीस (परिवहन/पैकिंग व्यय सहित) अनुमानित है।				

नोटः– 1. उपर्युक्त वर्णित बीज दर वर्तमान बाज़ार दर के आधार पर आंकलित है जिसमें बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी हो सकती है परन्तु योजनान्तर्गत सब्सिडी हेतु वर्णित दर ही अनुमान्य होगा।

2. बायोफ्लॉक एवं आर०ए०एस० में बीज का संचयन दर (कैट फिश एवं वायुश्वांसी मछली) का क्रमशः 8000 पीस फ्राई (बायोफ्लॉक) एवं 10000 पीस फ्राई (आर०ए०एस०) प्रति 100 घन मी० जल की दर से की जा सकेगी।

21/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

1972
05/05/2025

अनुलग्नक–V

Estimated Unit Cost of "Minor Carp" Hatchery
(Production Capacity 10.00 Lakh fry/annum)
Total space required - 01 Acre

Targeted Species - *Labeo fimbriatus, Labeo calbasu, Labeo goninus, Labeo bata, Cirrhinus reba & Puntius sarana*

A.	**Fixed/Capital Cost(Amount in Rupees)**		
Sl.No.	**Particulars**	**Total Cost**	**Remarks**
1	Construction of 8'-0" dia one no. breeding pool.	38900.00	
2	Construction of 6'-0" dia 2 nos. hatching pool.	61900.00	
3	Construction of over head Rcc tank 10'-0" X 10'-0" X 4'-6" (12000 Ltrs.) (Excluding pipe fittings.)	352000.00	
4	Construction of Cemented Cistern (a) 4 nos.7'-0" X 5'-0" X 2'-6"	102000.00	
5	Construction of Pucca Drain 30'-0" length.	31300.00	
6	Construction of 4" dia 100 feet deep boring.	120000.00	
7	Construction of 1no. Eggcollection cum spawn collection chamber.(4'-0"X4'-0"x2'-6")	9300.00	
8	Construction of 4 nos. Brooder Tanks (50'-0" x 40'-0") 0.184 Acre, 8 nos. Nursery tanks.(40'-0" x 30'-0") 0.220 Acre, 1 no. Waste water tank.(40'-0" x 25'-0") 0.023 Acre, Total water water area developed 0.427	150000.00	
9	Cost of Pipe fittings in breeding pool, hatching pool, over head tanks with all required fittings i.e required valves, tees, elbows, nipples, bends etc. as required. (Payment would be made as per actual vouchers)	50000.00	
10	Cost of electrification and Gen set/ pump set as required.(Payment would be made as per actual vouchers)	50000.00	
11	Office Shed of Brick work and Profile sheet roofing of M.S.Squre pipe. (10'-0" x 12 '-0")	100000.00	
12	Construction of working Platform 30'-0" X 28'-0" .	137000.00	
	Sub Total	**1202400.00**	
	Say	**1200000.00**	
B.	**Recurring Cost**		
1	Ponds/Tank preparation & Maintainance	20000.00	
2	Brood Stock (40Kg@200/Kg & procurement expenses)	10000.00	
3	**Feed -**		
	(a) Brooder Feed (600kg@Rs40/kg)	24000.00	
	(b) Larval Feed (Zero size Feed 400kg@Rs45/kg)	18000.00	
4	Inducing Agent (Synthetic)	3000.00	
5	Wage (One labour@9000/month for 03 months)	27000.00	
6	Miscellenous	10000.00	
	Total	**112000.00**	
	Grand Total (A+B)	**1312000.00**	

Economics:-

Production:-

Target Species -*Labeo fimbriatus, L.calbasu, L.goninus, L.bata, Cirrhinus reba & Puntius sarana*

A.Expected Fry Production - 10 Lakhs

B. Income :-

Out of sales proceeds of fry - @Rs0.50/pcs.x10,00,000.00 = 500000.00

C. Recurring Cost - 1,12,000.00

D. Net Income -B - C = 5,00,000.00 - 1,12,000.00 = 3,88,000.00

Hatchery Complex Provisions :-

Brooder Tank - 04 (Area - 0.184 Acre)
Nursery Tank - 08 (Area - 0.220 Acre)
Drain Tank - 01 (Area - 0.023 Acre)

Raised Platform - Area - 0.10 Acre
Office-cum-store room - 01 (Under shed) 120 sqft.
Working Platform –450 sqft.

<u>Note :-</u> The particulars and prices of the above mentioned items are indicative only, the actual items and prices may vary as per the local marketing conditions.

21/5/25
सरकार के संयुक्त सचिव

1972
05/05/2025

Proposed Layout of Hatchery Component of Minor Carp for 1.00 Acre Land Area

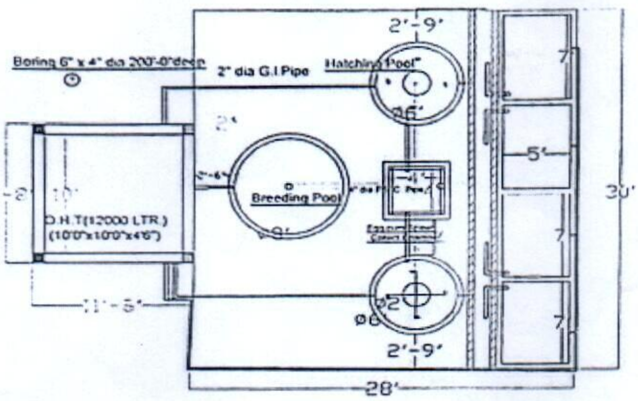

Breeding POOl- 8'-0" dia(1No)
Hatching POOl- 6'-0" dia (3Nos)
Egg cum Spawn collection Chamber
1 No.- 4'-0"X4'-0"X2'-6"
Over.Head.Tank-10'-0"X10'-0"X4'-6"
Cistern-4 Nos. 5'-0"X7'-0"X2'-6"
Drain- 1'-3"X1'-6"X30'-0"
P.V.C.Outlet Pipe 3"dia-20'-0"
P.V.C.Outlet Pipe 4"dia-30'-0"
U.P.V.C.Pipe 1.5"dia-200'-0"

Scale-1mm-4inch

Drawn By-

Sanjay Kumar
Junior Engineer
Directoriate of Fisheries
Bihar, Patna.

Layout of Hatchery Farm for Minor Carp In 1. 0 Acre Land

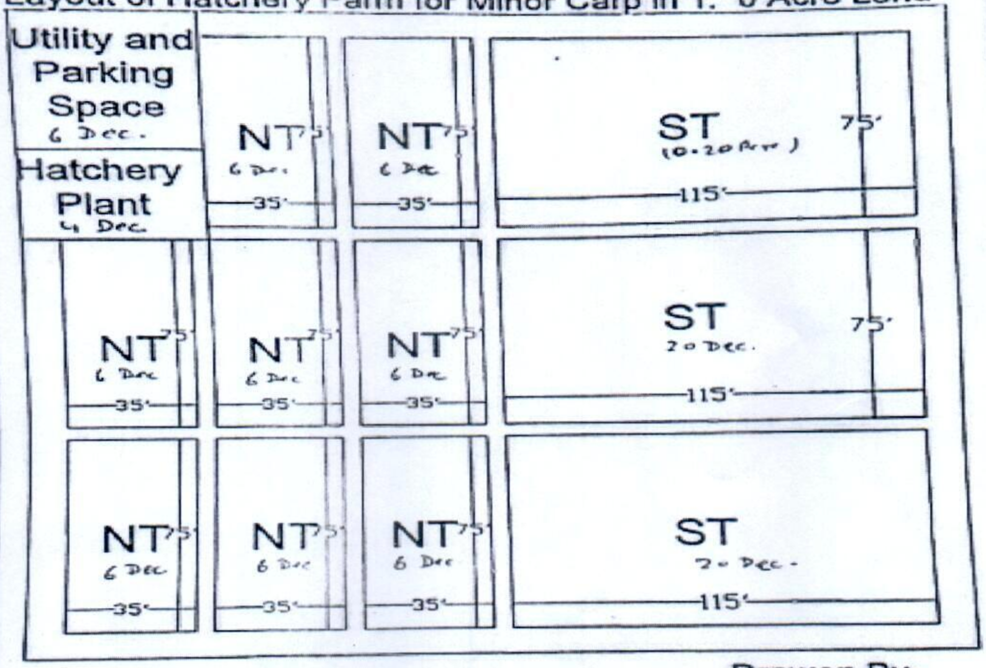

Not to Scale

Drawen By-

(Sanjay Kumar)
Junior Engineer
Directoriate of Fisheries

अनुलग्नक– VI

Estimated Unit Cost of "Cat fish" Hatchery
(Production Capacity 05 Lakh fry/annum)
Total space required - 01 Acre

Targeted Species - Mangur, Singhi, Pabda, Kawai & Murrels

Sl.	Particulars	Amount in Rupees	
A.	**Fixed/Capital Cost**	**Total Cost**	**Remarks**
1	Construction of Shed (30'-0"x15'-0"x11'-0") with Profile Sheet	400000.00	
2	Construction of Cemented Cistern 4 nos. (8'-0"x5'-0"x2'-6")	130000.00	
3	Overhead PVC water tank of 2000 Ltr. at a height of 12'-0"	100000.00	
4	Construction of flow through RCC	100000.00	
5	Construction of Pucca Drainage, Chamber and Soakpit	60000.00	
6	Construction of 4" dia 100' deep boring	160000.00	
7	FRP Circular Tank 4 Nos of 500 Ltrs @Rs 20/Ltr	40000.00	
8	FRP Rectangular Tank 4 Nos of 1000 Ltrs @Rs20/Ltr	80000.00	
9	Cost of Pipe fittings in breeding pool, hatching pool, over head tanks with all required fittings i.e required valves, tees, elbows, nipples, bends etc. as required. (Payment would be made as per actual vouchers)	80000.00	
10	Cost of electrification and Gen set/ pump set as required.(Payment would be made as per actual vouchers)	50000.00	
11	Office Shed of Brick work and Profile sheet roofing of M.S.Squre pipe. (10'-0" x 12 '-0")	100000.00	
12	Construction of 4 nos. Brooder Tanks (50'-0" x 40'-0") 0.184 Acre, 1 no. Waste water tank (40'-0" x 25'-0") 0.023 Acre, Total water water area developed 0.207	84000.00	
13	Contigent and miscelleneous expenses etc.	20000.00	
	Sub Total	**1404000.00**	
	Say	**1400000.00**	
B.	**Recurring Cost**		
1	Ponds/Tank preparation & Maintainance Cost	20000.00	
2	Brood Stock (100Kg@300/Kg & procurement)	30000.00	
3	**Feed -**		
	(a) Brooder Feed (600kg@Rs40/kg)	24000.00	
	(b) Larval Feed (Live Feed + Zero size Feed 400kg@Rs45/kg)	21000.00	
4	Inducing Agent (Synthetic)	5000.00	
5	Wage (One labour@9000 for 03 months)	27000.00	
6	Miscellenous/Unforeseen Expenditure	10000.00	
	Total	**137000.00**	
	Grand Total (A+B)	**1537000.00**	

Economics:-

Production:-

Target Species - Singhi, Mangur, Pabda, Murrels & Kabai
A. Expected Fry production - 05 Lakh

B. Income :-

Out of sales proceeds of fry - @Rs1.00/pcs.x5,00,000.00 = 500000.00
C. Recurring Cost - 1,37,000

D. Net Income - B - C = 5,00,000.00 - 1,37,000.00 = 3,63,000.00

Hatchery Complex Provisions :-

Brooder Tank - 04 (Area - 0.184 Acre)
Pucca Cistern Tank - 04 (Area - 200sqft.)
Drain Tank - 01 (Area - 0.023 Acre)
Raised Platform - Area 0.10 Acre
Office-cum-store room - 01 (Under shed) 120 sqft.
Working Platform – 450 sqft.

<u>**Note :-**</u> The particulars and prices of the above mentioned items are indicative only, the actual items and prices may vary as per the local marketing conditions.

2/5/25
सरकार के संयुक्त सचिव

1972
05/05/2025

Proposed Layout of Catfish (Mangur, Singhi) Hatchery

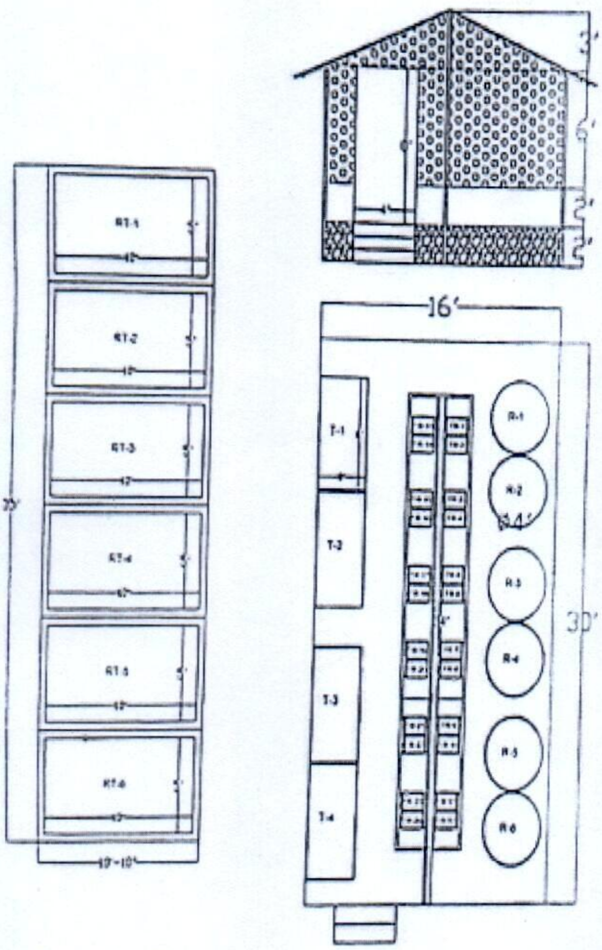

Scale-1mm-4inch

TR-1 to TR-24 INCUBATION CUM LARVEL REARING TRAYS

R-1 TO R-6 SPAWNERS HOLDING AND SPAWNING TANKS-500 L (FRP)

T-1 TO T-4 EARLY FRY REARING FRP TAP TANKS

RT-1 TO RT-6 CEMENT NURSERIES FOR FRY TO FINGERLING STAGE

FLOWTHROUGH 24'-0" X 4'-0" AT A HT OF 2'-6" OF R.C.C

SHED - 16'-0" X 30'-0" WITH A HT. OF 11'-0"

PLINTH HT.- 2'-0"

SILL LEVEL- 2'-0"

LINTEL LEVEL- 8'-0"

ROOFING- PROF. SHEET FIXED ON 2"X2" SQ. PIPE

Drawen By-

Sanjay Kumar
Junior Engineer
Directoriate of Fisheries
Bihar, Patna.

अनुलग्नक–VII

Unit Cost Estimation for "Culture of Minor Carp" for unit water area – 0.5 Acre

(**Culture Species -** *Labeo fimbriatus, L.calbasu, L. goninus, L.bata, Cirrhinus reba, A.mola* & *Puntius sarana etc.*)

Average Stocking Density - @30,000 Fry/ha. Or 6000/0.5 Acre

Sl	Particular/Items	Quantity	Rate/Unit	Expenditure (Rs)	Remarks
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Cost of seed (Including packaging & transportation) Fry size	6000.00	4.00	24000.00	
2	Cost of Pond preparation (Cost of therapeutic & other chemicals & medicines)	0.5 Acre	@50,000/ hac.	15000.00	
3	Cost of feed(Sinking pellated feed)	1000 kg	40.00	40000.00	
4	Cost of Labor, medicine etc.	L.S	-	10000.00	
5	Miscellaneous	L.S	-	5000.00	
	Total			**94000.00**	

Note:- The above particulars & its prices are indicative and may change within the stipulated total cost.

Economics :-

Productions :-

Culture period – 08 months

Mortality rate - 20%

Harvesting Size – Average weight 150gm.

A. Expected fish production - 700kg

B. Income :–

Out of sales proceeds of fish - @Rs160/kg x 700kg = 1,12,000.00

C. Recurring Cost – 94,000.00

D. Net Income :– B - C = 1,12,000.00 – 94,000.00 = Rs 18,000.00

2/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

1972
05/05/2025

अनुलग्नक–VIII

Unit Cost Estimation for "Culture of Cat Fishes & Others" for unit water area – 0.5 Acre

(**Culture Species** - Mangur, Singhi, Pabda, Murrels, Kabai, Chital, Tilapia etc.)

Average Stocking Density - @50,000 Fry/ha. Or 10000/0.5 Acre

Sl.	Particular/Items	Quantity	Rate/Unit	Expenditure (Rs)	Remarks
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Cost of seed (Including packaging & transportation) Fry size	10000.00	6.00	60000.00	
2	Cost of Pond preparation (Cost of therapeutic & other chemicals & medicines)	0.5 Acre	@50,000/ hac.	15000.00	
3	Cost of feed(Sinking pellated feed)	1000kg	45.00	45000.00	
4	Cost of Labor, medicine etc.	L.S	-	10000.00	
5	Miscellaneous	L.S	-	5000.00	
	Total			**135000.00**	

Note:- The above particulars & its prices are indicative and may change within the stipulated total cost.

Economics :-

Productions :-

Culture period – 08 months

Mortality rate - 20%

Harvesting Size – Average weight 80gm.

A. Expected fish Production – 600kg

B. Income :–

Out of sales proceeds of fish - @Rs350/kg x 600kg = 2,10,000.00

C. Recurring Cost – 1,35,000.00

D. Net Income :– B - C = 2,10,000.00 – 1,35,000.00 = Rs 75,000.00

सरकार के संयुक्त सचिव

1972
05/05/2025

अनुलग्नक-IX

वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु नई योजना "मत्स्य प्रजाति का विविधिकरण" अंतर्गत हैचरी निर्माण एवं मत्स्य पालन से संबंधित जिलावार एवं अवयववार संभावित भौतिक लक्ष्यों की विवरणी

(राशि लाख में)

क्र० सं०	जिला	माइनर कार्प हैचरी का अधिष्ठापन (सं०) (इकाई लागत 13.12)		कैट फिश हैचरी का अधिष्ठापन (सं०) (इकाई लागत 15.37)		माइनर कार्प मात्स्यिकी पालन की योजना (सं०) 01 यूनिट=0.5 एकड़ (इकाई लागत 0.94 / यूनिट)		कैट फिश मात्स्यिकी पालन की योजना (सं०) 01 यूनिट=0.5 एकड़ (इकाई लागत 1.35 / यूनिट)		अभ्युक्ति
		अनुदान 60 प्रतिशत								
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	दरभंगा	1	7.87200	0	0.00000	16	9.02400	6	4.86000	
2	मधुबनी	0	0.00000	0	0.00000	6	3.38400	6	4.86000	
3	समस्तीपुर	0	0.00000	0	0.00000	4	2.25600	4	3.24000	
4	गोपालगंज	0	0.00000	0	0.00000	10	5.64000	6	4.86000	
5	सिवान	0	0.00000	0	0.00000	8	4.51200	6	4.86000	
6	सारण	0	0.00000	0	0.00000	2	1.12800	6	4.86000	
7	वैशाली	0	0.00000	0	0.00000	2	1.12800	2	1.62000	
8	मुजफ्फरपुर	1	7.87200	0	0.00000	16	9.02400	6	4.86000	
9	सीतामढ़ी	1	7.87200	0	0.00000	4	2.25600	4	3.24000	
10	पश्चिमी चम्पारण	0	0.00000	0	0.00000	10	5.64000	8	6.48000	
11	शिवहर	0	0.00000	0	0.00000	8	4.51200	4	3.24000	
12	पूर्वी चंपारण	0	0.00000	0	0.00000	5	2.82000	4	3.24000	
13	पूर्णियाँ	0	0.00000	1	9.22200	3	1.69200	4	3.24000	
14	अररिया	0	0.00000	0	0.00000	8	4.51200	6	4.86000	
15	कटिहार	0	0.00000	0	0.00000	14	7.89600	10	8.10000	
16	किशनगंज	0	0.00000	0	0.00000	5	2.82000	10	8.10000	
17	सहरसा	0	0.00000	0	0.00000	4	2.25600	10	8.10000	
18	मधेपुरा	0	0.00000	0	0.00000	2	1.12800	2	1.62000	
19	सुपौल	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	8	6.48000	
20	बाँका	0	0.00000	1	9.22200	4	2.25600	10	8.10000	
21	भागलपुर	1	7.87200	0	0.00000	10	5.64000	8	6.48000	
22	मुंगेर	0	0.00000	0	0.00000	2	1.12800	4	3.24000	
23	लखीसराय	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	4	3.24000	
24	बेगूसराय	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	4	3.24000	
25	खगड़िया	0	0.00000	0	0.00000	10	5.64000	8	6.48000	
26	शेखपुरा	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	4	3.24000	
27	जमुई	0	0.00000	0	0.00000	4	2.25600	8	6.48000	
28	बक्सर	0	0.00000	0	0.00000	4	2.25600	8	6.48000	
29	रोहतास	0	0.00000	0	0.00000	10	5.64000	8	6.48000	
30	पटना	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	4	3.24000	
31	कैमूर	0	0.00000	0	0.00000	8	4.51200	8	6.48000	
32	अरवल	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	4	3.24000	
33	जहानाबाद	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	2	1.62000	
34	नवादा	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	
35	गया	0	0.00000	0	0.00000	1	0.56400	4	3.24000	
कुल :–		**4**	**31.48800**	**2**	**18.44400**	**180**	**101.52000**	**200**	**162.00000**	

21/x/25
सरकार के संयुक्त सचिव

1972
05/05/2025